

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुई ।]
KUMARI ABHA MAITI in the Chair.

जनता पार्टी को अभी अस्तित्व में आना है । जिस प्रकार के लोग दल बनाने के लिये एकत्रित हुए हैं उनसे यह विश्वास नहीं होता कि क्या जनता पार्टी का वास्तव में अभी जन्म होना है । अतः मैं प्रधान मंत्री को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इसके बाद मेरा दल और सत्तारूढ़ दल के सदस्य रचनात्मक कार्य में लग जायेंगे 'और 19 महीनों के अत्याचारों' की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी (गोहाटी) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनावों के बाद दिया गया है । यह चुनाव हमें हमेशा याद रहेंगे । चुनाव तभी निष्पक्ष हो सकते हैं जब दोनों दलों को जनता के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिले । चुनाव कराने के सम्बन्ध में अचानक घोषणा की गई । उस समय हजारों लोग राजनीतिक बन्धियों के रूप में जेलों में थे और हमें वाकई बड़ी कठिनाई हुई लेकिन लोगों ने फिर भी कांग्रेस के विरुद्ध वोट दिया ।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता के निर्णय से सबक सीखा है लेकिन उनके भाषण से यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने उस विचित्र हार से कोई सबक नहीं सीखा है जिसके कारण उसे सत्ता से हटाया गया है । लोगों ने आपातस्थिति को पसन्द नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस हारी । अब विपक्षी नेता श्री चट्टान कहते हैं कि "आपात स्थिति लागू करना कांग्रेस की परम्परा नहीं रही" । क्या ऐसा कह कर वे कांग्रेस के अपराध को छिपाना चाहते हैं । उन्होंने ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि उनका दल आपातस्थिति की ज्यादतियों के लिये जिम्मेदार नहीं है ।

अब जनता ने जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी है । हमें आशा है हमारे नेता देश को स्वच्छ सरकार देंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, जिसके लिये हमें यहां भेजा गया है ।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रपति के अभिभाषण की बहस का उत्तर देते हुए, मैं दोनों ही ओर के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग न करें ।

मुझे विपक्ष के नेता द्वारा जनता पार्टी को "विचित्र जन्तु" की संज्ञा दिए जाने से बड़ा दुःख हुआ है । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु इतनी आशा करता हूं कि भविष्य में वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

मुझे उनके इस कथन से भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के आर्थिक कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है । शायद उन्होंने अभिभाषण को ध्यान से सुना नहीं । उसमें आर्थिक कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख है । पर क्या वह ये चाहते थे कि मुश्किल से

मिले 3-4 दिन में हम उसकी विगत भी उन्हें विस्तार से दे देते ? हो सकता है कि उनमें ऐसा करने की क्षमता हो, कम से कम मुझमें तो नहीं है। भविष्य में हम जो करेंगे उससे ही हमारे कार्य का अनुमान लग सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा : 21 वर्ष पहले क्या हुआ। यदि वे अपनी स्मरणशक्ति पर जोर दें तो वाद-विवाद के रिकार्ड से पता चलेगा कि इसका उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दिया जा चुका है। उन्होंने बम्बई में लोगों को गोली से मार दिए जाने की बात कही। क्या उन्हें यह याद है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल के किसी भी सदस्य ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि वे महाराष्ट्र में बहुमत में थे। उनका कोई विरोध प्रकट न करना क्या मेरी उस कार्यवाही को उनके द्वारा दिया गया पर्याप्त समर्थन नहीं है। उस समय जो कुछ किया गया ऐसी बात नहीं उस पर मुझे दुख नहीं हुआ। परन्तु मुझे ऐसा करने के लिये बाध्य होना पड़ा अन्यथा समूचा बम्बई शहर समाप्त हो सकता था। यदि यह न किया जाता तो बम्बई में कुछ न बचता।

दिल्ली में क्या हुआ ? कितने यहां बुलडोजर चलाए ? यह पिछली सरकार के प्रशसान ने किया। बिना उचित सूचना के मकानों को गिरा दिया गया। क्या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ? दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तुलना बम्बई की घटनाओं से कैसे कर सकते हैं ? दिल्ली में हुई एक सभा में 5 लाख लोग शामिल हुए। इससे क्या लक्षित होता है ? यह लोगों की भावनाओं का प्रदर्शन है। वे स्वयं वहां आए और शान्ति से हमारी बात सुनी।

श्री माटे ने गुजरात की घटनाओं का भी जिक्र किया। उसके लिए कौन जिम्मेदार था ? इसके लिये वे लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने उन्हें उकसाया और युवकों को रुपया दिया। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि यदि वे गलत काम करते रहे और मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ेगा और उसे रोकने के लिये मैंने अतृप्त किया। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने सत्याग्रह करने की घोषणा की। मुझे सन्देह है कि वे सत्याग्रह का अर्थ भी समझते हैं या नहीं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

किसी भी सरकार के हिंसा का सामना शक्ति से करने के कार्य में हमें गलती नहीं निकालनी चाहिये। सरकार को हिंसा होने पर शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। परन्तु जब हिंसा न हो तब बल का प्रयोग क्यों किया जाए ? वर्तमान सरकार के यह निश्चित आदेश हैं। परन्तु यदि कोई राज्य सरकार जो हमारे नियन्त्रण में नहीं है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। परन्तु ऐसा न हो इसके लिये कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि अभिभाषण में किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम तो है परन्तु उसे पूरी तरह समझाया नहीं गया है। पर क्या वे चाहते हैं हम उसे तुरन्त समझा दें। 20 सूत्रों को भी कहीं समझाया नहीं गया।

मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे थोड़ा संयम बरतें और जनता पार्टी को विचित्र जानवर न कहें; आशा है कि भविष्य में संयम बरता जाएगा।

विपक्ष के नेता ने कहा कि जनता पार्टी थोड़े ही समय में बिखर जाएगी और अधिक दिन नहीं चल सकेगी। यह सम्भव नहीं है। तथ्य यह है कि गलत इच्छाओं के कारण ही कांग्रेस का पतन हुआ है। यदि विपक्षी नेता देश के लिये दो दल की प्रणाली अच्छी समझते हैं तो क्या हमें जनता पार्टी के बने रहने की कामना नहीं करनी चाहिये? यदि जनता पार्टी टूट जाती है तो इस देश का भविष्य अन्धकारमय है।

जब तक जनता पार्टी सत्ता में रहेगी वह अपने कार्य से लोकतंत्र की परम्पराओं की स्थापना करेगी। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो विपक्ष का कोई भी सदस्य इस ओर इंगित करे जिससे हम स्वयं को सुधार सकें।

तीन वर्ष पहले मैंने अपने मित्रों से कहा था कि जो कुछ हो रहा है वह देश के भले के लिए हो रहा है। यह देश जब तक ठोकर नहीं खाता उभर नहीं सकता। हमें महात्मा गांधी के कारण बड़ी आसानी से स्वतंत्रता मिल गई। उसके लिये हमने पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। वह कीमत हमने गत 20 महीनों में चुकाई और मुझे आशा है कि हमें और कीमत नहीं चुकानी होगी। यदि कोई कीमत चुकानी पड़ी तो हम उसे चुकाएंगे पर किसी अन्य को उसे चुकाने को बाध्य नहीं करेंगे। आशा है विपक्ष भी इस देश को महान बनाना चाहता है। इस प्रयत्न में हो सकता है हमसे गलतियां हों, परन्तु हमें एक दूसरे को उन्हें दूर करने में मदद करनी चाहिये। यदि हम ऐसा करते हैं तो देश का भविष्य अच्छा होगा।

मुझे इस देश के उत्थान में पूरा विश्वास है। मेरा विश्वास है हम ऐसा समाज बना सकेंगे जिसे महात्मा गांधी राम राज्य की संज्ञा देते थे। ऐसा होने पर हम विश्व में भी ऐसी स्थिति बना सकेंगे। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही होगी। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति में कोई मतभेद नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे कि इसमें कोई अन्तर न आए।

गुट निरपेक्षता तभी बरती जा सकती है जबकि किसी प्रकार का कोई भय न हो परन्तु दुर्भाग्यवश गत 20 महीनों में देश भय के ऐसे वातावरण से गुजरा है जिससे इस देश के इतिहास में कोई सानी नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि भय देश में न रहे। अन्यथा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और उन्नति नहीं कर सकते। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह लोगों के मन से भय बाहर निकालने में सरकार की मदद करें। परन्तु वह तभी हो सकता है जब हम अपने मन से डर निकाल दें। हम सरकार से हटने से नहीं डरते। पिछली सरकार इस डर से ग्रस्त थी। इसी कारण आपात स्थिति लागू की गई। आपात स्थिति का समर्थन किसने किया, स्वयं विपक्ष स्वयं के नेता ने। परन्तु उस समय वे और कुछ कहने के लिये स्वतंत्र नहीं थे। हम वह स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। भय से मुक्त हुए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता और हम उसे ही बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिये हम सब कुछ करेंगे।

अभी तक क्या किया गया है इसकी आलोचना नहीं की गई है क्योंकि अभी कुछ अधिक हुआ ही नहीं है। कुछ बातें इधर-उधर ही कही गई हैं, इसलिये मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। मैं विपक्ष से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह अपना सहयोग दे और जब वे हमारी आलोचना करें तो ऐसी करें कि वह बुरी न लगे।

श्री ओ० बी० अलगेमन : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूँ कि सरकारिया आयोग को काम करने दिया जाएगा।

श्री मोरारजी देसाई : सरकारिया, आयोग का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने पर आगे की कार्रवाई होगी। श्री सरकारिया से अपना काम शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। यदि कोई सदस्य अलग से मतदान के लिए रखे जाने का अनुरोध नहीं करेगा तो मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 28 मार्च, 1977 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।”

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ]

[The motion was adopted]

तमिलनाडु के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में
सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPECT OF TAMIL NADU*

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : “कि यह सभा राष्ट्रपति के अनुच्छेद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 मार्च, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।”

पहले बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले पिछली सरकार ने 1-3-1977 को राज्य सभा में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की अवधि 10 मार्च, 1977 से एक वर्ष और बढ़ाए जाने के लिए एक संकल्प पेश किया था जिसे स्वीकृति मिल गई थी। वैधानिक स्थिति ऐसी है कि राज्य सभा ने उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने वाला संकल्प पारित कर दिया है, उसी आशय का एक संकल्प 30 दिन के अन्दर लोक सभा द्वारा पास किया जाना भी आवश्यक है।